न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 105/19–20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

मनुएल मुण्डा – विक्रेता

सुगड़ तोपनो – क्रेता

आदेश की क्रम सख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
02.01.20	(नीचे देखें)	

आदेश

आवेदक मनुएल मुण्डा पिता स्व0 जोलेन मुण्डा ग्राम–ताम्बा, उसराम, पोस्ट–रनियाँ, थाना रनियाँ, जिला खूँटी ने सुगड़ तोपनो पिता स्व0 कल्याण तोपनो ग्राम–ताम्बा, उसराम पोस्ट–रनियाँ, थाना रनियाँ, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड में)
ताम्बा उसराम	148	297	5662	0.20

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/ निबंधन प ट्टा एवं लगान की रसीद सं0 0990141332 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, रनियाँ के पत्रांक 460 (ii) दिनांक 31.10.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम खादु मुण्डा हैं। पंजी II के अनुसार खादु मुण्डा के नाम 26.59 एकड़ हैं। आवेदक के हिस्से में कुल रकवा 13.29 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019–20 तक किया गया है। भूमि का प्रस्तावित दर 1877.00 (एक हजार आठ सौ सतहत्तर)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 13.01 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना रनियाँ के निवासी हैं एंव एक ही जाति मुण्डा (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, रनियाँ के द्वारा अनुशंसा किया गया है। अतः भूमि वि क्रय की अनुमति प्रदान की जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, रनियाँ से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मनुएल मुण्डा पिता स्व0 जोलेन मुण्डा को सुगड़ तोपनो पिता स्व0 कल्याण तोपनो के साथ ग्राम ताम्बा उसराम के खाता सं0 297 खेसरा संख्या 5662 कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 1877.00 (एक हजार आठ सौ सतहत्तर)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, रनियाँ के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

3/01/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

3/01/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।